राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकः– एफ 33(1) खा.वि / प्रोक्यो / RMS / 2024–25 जयपुर, दिनांक 19/01/2024

<u>दिशा–निर्देश</u>

राज्य में आरएमएस 2024–25 के दौरान समर्थन मूल्य पर **गेहूँ खरीद का कार्य दिनांक 10 मार्च, 2024 से 30 जून, 2024 तक** किया जावेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद का कार्य ऑनलाइन माध्यम से किया जावेगा एवं इस हेतु राज्य सरकार द्वारा ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है। उक्त पोर्टल का लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर "गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन" नाम से उपलब्ध है।

1. पंजीयन व्यवस्था

राज्य के किसान गेहूँ विक्रय हेतु ***<u>दिनांक 20.01.2024 से 25.06.2024 तक प्रातः 07.00 बजे से सायं 07..00 बजे तक पंजीयन</u>*** करवा सकेंगें। किसान द्वारा स्वयं अथवा अन्य माध्यम से पोर्टल पर पंजीकरण करवाया जा सकेगा। किसान पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी **<u>परिशिष्ट–अ</u>** पर उपलब्ध है।

2. पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होगें :–

- **पहचान संबधी दस्तावेज :–** जनआधार कार्ड
  पंजीकरण के लिए जनआधार कार्ड अनिवार्य है। कृषक के जनआधार कार्ड में पंजीकृत परिवार के एक या एक से अधिक सदस्यों (जिनके नाम से गिरदावरी है) द्वारा भी पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा सकेगा। *पंजीयन से पूर्व पंजीयनकर्ता जिस बैंक खाते में भुगतान चाहता है उस बैंक खाते को जनआधार से जुड़वाना सुनिश्चित करे।*

- **फसल सम्बन्धी दस्तावेज :–** पंजीकरण के समय पोर्टल पर किसान की गिरदावरी भू–प्रबंधन विभाग के रिकॉर्ड से auto-fetch की जायेगी। चूँकि इस वर्ष पंजीकरण प्रक्रिया जल्द प्रारम्भ की जा रही है। अतः सम्भावना है कि पंजीकरण के समय गिरदावरी auto-fetch नहीं हो पाए। ऐसी स्थिति में पोर्टल में यह प्रावधान किया गया है कि बिना गिरदावरी के ही किसान का पंजीकरण हो सके। जैसे ही ऑनलाइन गिरदावरी भू–प्रबंधन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी, खरीद पोर्टल द्वारा auto-fetch कर ली जाएगी।

- **भूमि सम्बन्धी दस्तावेज :–** पंजीकरण के समय पोर्टल पर किसान की भूमि का विवरण राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से auto-fetch किया जायेगा। यदि किसान स्वयं भूमि मालिक नहीं है तो उसके द्वारा भूमि मालिक का जन आधार/आधार एवं किराए की भूमि / बटाईदार / अनुबंध भूमि पर कार्य करने के संबंध स्वघोषणा पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति (pdf फॉर्मेट में जिसका अधिकतम साइज़ 150 kb हो) पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

3. फसल बेचान हेतु क्रय केन्द्र पर लाये जाने वाले आवश्यक दस्तावेज

- **पहचान संबंधी दस्तावेज–** मूल जनआधार कार्ड
- **फसल सम्बन्धी दस्तावेज–** पटवारी द्वारा जारी मूल गिरदावरी
- **बैंक सम्बन्धी दस्तावेज–** बैंक पासबुक की प्रति (*किसान पंजीयन से पूर्व जिस बैंक खाते में भुगतान चाहता है उस बैंक खाते को जनआधार से जुड़वाना सुनिश्चित करे। खाता संख्या व आईएफएससी कोड में विसंगति के लिए कृषक स्वयं उत्तरदायी होगा*)

4. **भूमि अभिलेख व गिरदावरी**

खाद्य विभाग द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को राजस्व विभाग / भू–प्रबंधन कार्यालय, राजस्थान के पास उपलब्ध भूमि अभिलेख / गिरदावरी के ऑनलाइन रिकॉर्ड से एकीकृत किया गया है। ऐसे मामले जहाँ गिरदावरी auto-fetch नहीं हो पा रही है, वहाँ सम्बंधित क्रय केन्द्र संचालक / किसान द्वारा मूल गिरदावरी पोर्टल में अपलोड की जानी होगी। अतः सभी किसान फसल बेचान हेतु क्रय केन्द्र पर मूल गिरदावरी प्रस्तुत करेंगे। गिरदावरी में जिसका नाम होगा, उसी का पंजीकरण मान्य होगा।

5. **क्रय केन्द्र**

आरएमएस 2024–25 में गेहूँ खरीद कार्य हेतु स्थापित क्रय केन्द्र व जारी आवश्यक दिशा–निर्देश पृथक से विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कृषक को पोर्टल पर क्रय केंद्र चुनने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

6. **ऑनलाइन पंजीकरण में समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में**

कृषक पंजीकरण व अन्य उपार्जन सम्बन्धी शिकायतों के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800 180 6030 पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उक्त क्रम में एजेंसीज भी उनके पास उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर का उपयोग कर एवं उसका अधिकाधिक प्रचार करेंगी।

इसके अतिरिक्त विभिन्न क्रय केन्द्रों एवं कृषकों को ऑनलाइन पंजीकरण में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में सम्बंधित जिला कलेक्टर जिला स्तर पर पर एक दल का गठन किया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त दल क्रय एजेंसीज के जिला स्तर के प्रतिनिधि भी आवश्यक रूप से सम्मिलित किये जायेंगे।

7. **अन्य**

किसान को पंजीकरण की दिनांक के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा वरीयता क्रम में तुलाई दिनांक एवं उससे खरीद की जाने वाली मात्रा संबंधित केन्द्र पर लाने बाबत पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा ।

यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केन्द्र पर विक्रय नहीं कर पाता है तो वह 10 दिवस की अवधि में अपनी फसल कभी भी तुलवा सकता है। तुलाई पश्चात् रसीद की एक प्रति किसान को दी जावेगी।

19/1/2024

(नवनीत कुमार)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
4. उप सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि/वित्त/राजस्व विभाग, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/समस्त जिला कलेक्टर, राज0।
8. निदेशक, कृषि विपणन विभाग/बोर्ड, जयपुर।
9. प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. जयपुर।
10. प्रबंध निदेशक, राजफैड/तिलम संघ, राज0, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. महाप्रबंधक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावें।
14. जनसंपर्क अधिकारी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. राज्य प्रमुख, नाफेड, जयपुर।
16. शाखा प्रबंधक, NCCF, जयपुर।
17. समस्त जिला रसद अधिकारी।

19/1/2024

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण प्रकिया

सत्यमेव जयते

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राजस्थान सरकार

किसान पंजीकरण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

❖ **किसान पंजीकरण हेतु आवदेन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज**

1. किसान का अपना जनआधार कार्ड
2. बैंक पासबुक
3. किराये की भूमि/बटाईदार/अनुबंध भूमि –
   भूमि मालिक का जन आधार, माह जिसमें बटाई एग्रीमेंट हुआ है, रेंट एग्रीमेंट की कॉपी (पीडीएफ प्रारूप में जिसकी अधिकतम आकार 150 केबी तक होनी चाहिए)

नोट: पंजीकरण हेतु कृषक आवश्यक रूप से जनआधार में जानकारी (नाम, मोबाइल नंबर, बैंक खाता आदि) को अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें|

गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर क्लिक करें ।

खरीद पोर्टल लिंक खाद्य विभाग की वेबसाइट (https://food.rajasthan.gov.in) पर "गेहूँ खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन" नाम से उपलब्ध है।

किसान नवीन पंजीकरण

1- किसान अपना जनआधार कार्ड नंबर दर्ज करके खोजे बटन पर क्लिक करें

किसान पंजीयन कराने से पूर्व जन आधार में अपने बैंक खाते की जानकारी अवश्य जांच लें।
यदि बैंक विवरण सही नहीं है तो जन आधार कार्ड में बैंक विवरण अपडेट कराना सुनिश्चित करें।

1- किसान की व्यक्तिगत जानकारी

1- जन आधार कार्ड से किसान के परिवार के सदस्य की सूची प्रदर्शित होगी

2- जिसके नाम से गिरदावरी है उसके नाम को चुने

जिसके नाम से गिरदावरी है उसका नाम चुने

क्रम संख्या	चुने	नाम हिंदी में	नाम अंग्रेजी में	आधार कार्ड नंबर	मोबाइल न
1	चुने	गुड्डी	Guddi	******121	1234567890
2	चुने	रहीस	Rahis	******473	1234567890
3	चुने	फेज़ल	Faizal	******668	1234567890

जिसके नाम से गिरदावरी है उसके नाम को चयन करे

2- खाताधारक का विवरण

खाताधारक का विवरण

हिंदी में नाम लिखें	अंग्रेजी में नाम लिखें	पिता/पति का नाम
गुड्डी	Guddi	Ra
श्रेणी	**जाति**	**जन्म की तारीख**
क्या किसान "लघु अथवा सीमांत किसान" है?	**आधार न.**	**मोबाइल न.**
◉नहीं ○हाँ	263XXXXXX121	
पंचायत समिति / ब्लॉक	ग्राम पंचायत	ग्राम
--चुनें--	--चुनें--	--चुनें--

पता

Road Dholpur, Dholpur, Ward No- 7,
Dholpur PIN Code 328001 District Dholpur

बैंक खाते का विवरण (जिसमे फसल का मूल्य जमा होगा) **किसान पंजीकरण से पूर्व जन आधार में बैंक खाते की जानकारी को अपडेट कराया जाना सुनिश्चित करें |**

बैंक का नाम	शाखा	IFSC कोड	खाता संख्या
BANK OF INDIA	KACHARI ROAD,NEAR C	BKID0007465	)1016

फसल लाने वाले व्यक्ति का नाम	फसल लाने वाले व्यक्ति का मोबाइल न. (वैकल्पिक)
Guddi	92513

नोट :- इस मोबाईल न. का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है!

3- खरीद केंद्र विकल्प

1- किसान उस खरीद केंद्र का चयन करें जहां पर गेहूँ की बिक्री करना चाहता है

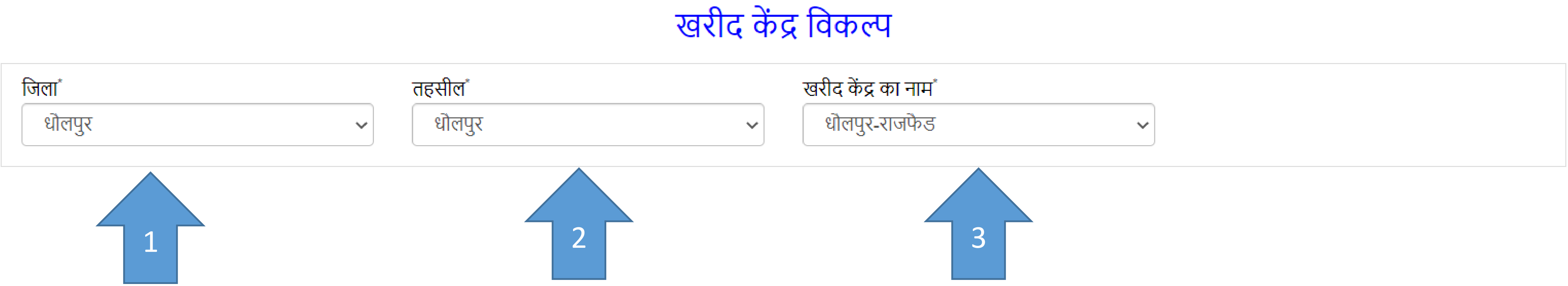

4- किसान की भूमि का विवरण

1- Self Cultivated (स्वयं की भूमि)- किसान की अपनी भूमि है तो **Self Cultivated** का चयन करें

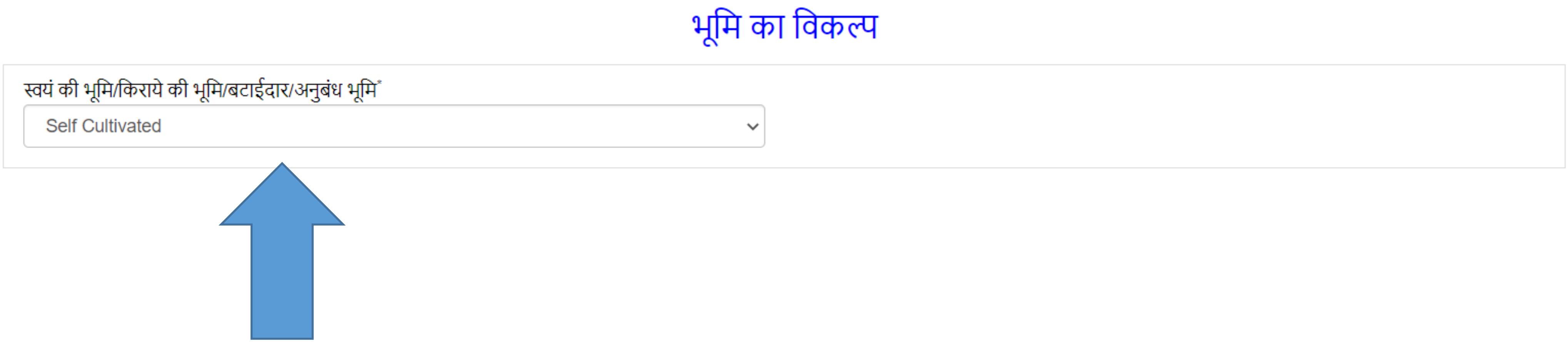

4- किसान की भूमि का विवरण

1- Land in Rent (किराये की भूमि) / Share Cropping (बटाईदार) / Contract (अनुबंध भूमि) –

1- भूमि मालिक का जन आधार

2- जिस माह में बटाई एग्रीमेंट हुआ है

3- एग्रीमेंट की कॉपी (पीडीएफ प्रारूप में जिसकी अधिकतम आकार 150 केबी तक होनी चाहिए)

भूमि का विकल्प

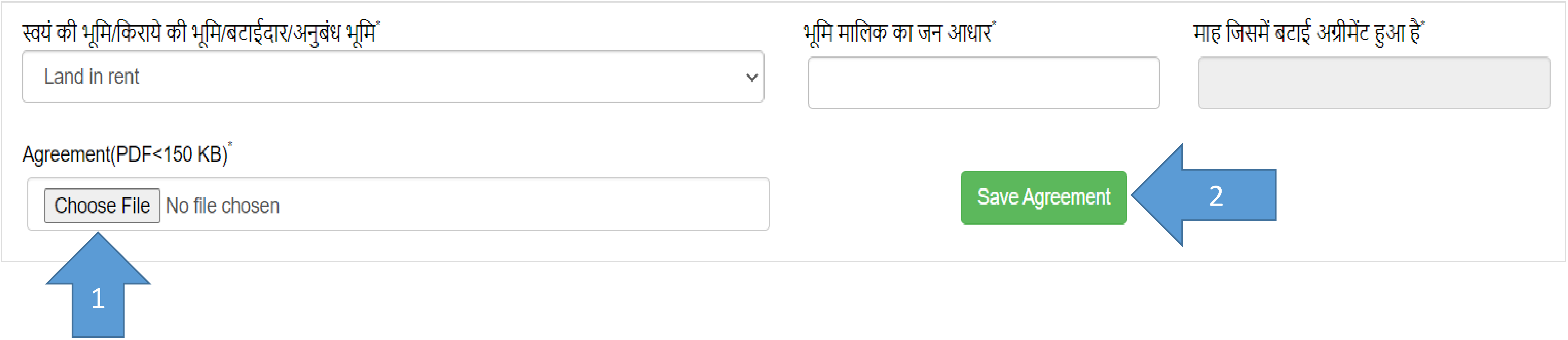

5- किसान के खाते की भूमि का विवरण

1- किसान की भूमि जिस जिले में हैं उस जिले, तहसील और ग्राम का चयन करें

2- खाता संख्या का चयन करने के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करे

3- जिस खाता संख्या का चयन किया है उसमे किसान के खाते की भूमि मालिक का नाम, पिता का नाम, सम्बन्ध, हिस्सा और हिस्सा का परसेंटेज प्रदर्शित होगा

किसान के खाते की भूमि का विवरण (एक या एक से अधिक) (भूमि का विवरण जोड़ने के बाद आप खरीद केंद्र नहीं बदल सकते)

जिला	तहसील	ग्राम	खाता संख्या
धौलपुर	धौलपुर	अलहपुरा - ओंदी - पचगाँव	2

S.No.	OWNERID	Name	FATHER	RELATION	GENDER	CASTE	हिस्सा	हिस्सा %
1	5186807	अंगद	छिद्दू	पुत्र	M	बघेला	1	100%

5- किसान के खाते की भूमि का विवरण

3.1- भूमि मालिक के नाम पर क्लिक करे

3.2- कृषक के हिस्से का भूमि क्षेत्र **(हेक्टेअर में)**

3.3- किसान द्वारा बेचान हेतु लाई जाने वाली अधिकतम मात्रा **(क्विंटल में)**

3.4- भूमि विवरण को जोड़े (एक या एक से अधिक भूमि विवरण को जोड़ सकते हैं)

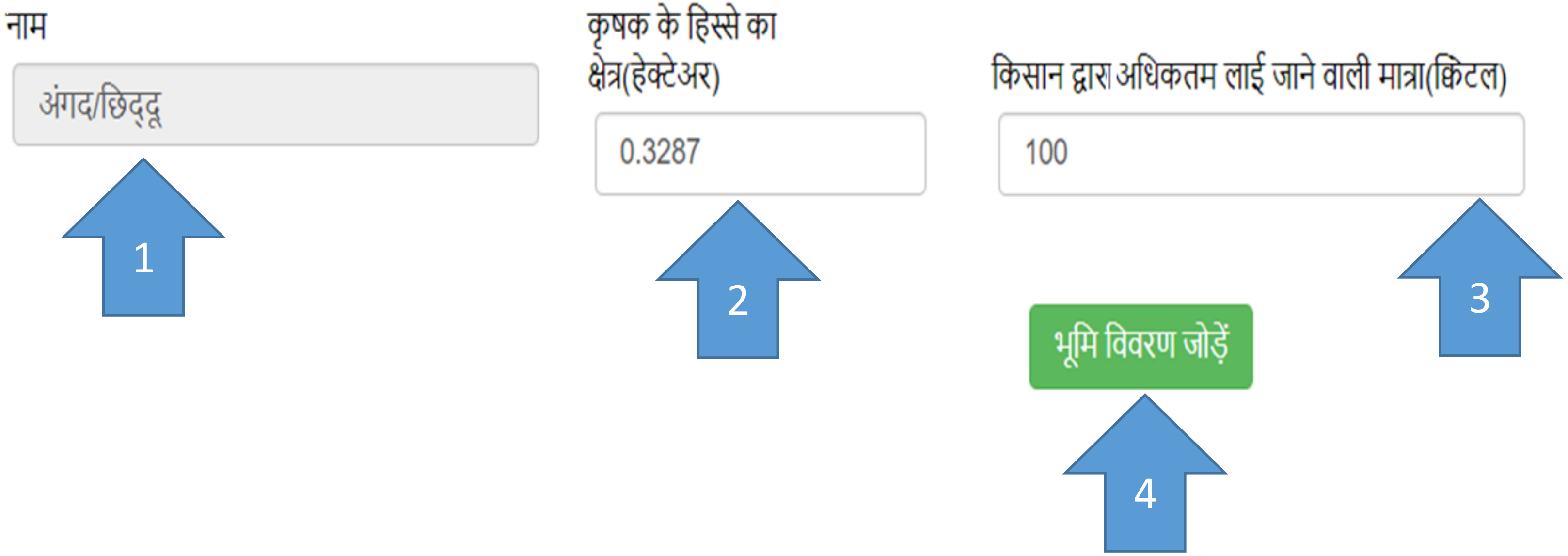

5- किसान के खाते की भूमि का विवरण

1- भूमि विवरण को जोड़ने के बाद भूमि विवरण का रिकॉर्ड नीचे प्रदर्शित होगा

2- इसके बाद किसान अपने रजिस्ट्रेशन को सेव बटन पर क्लिक करें

क्रम संख्या	जिला	तहसील	ग्राम	खाता संख्या	OwnerId	नाम	पिता/पति	रिश्ता	लिंग	जाति	हिस्सा	रकबा (हेक्टेअर में)	मात्रा(किलोग्राम)
1	धौलपुर	धौलपुर	अलहपुरा	2	5186807	अंगद	छिद्दू	पुत्र	M	बघेला	1	0.328700	100.00

रिकार्ड सेव करें

फार्म रीसेट करें

6- किसान का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया

1- किसान के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस जायेगा

2- गेहूँ एमएसपी खरीद के लिए आपका पंजीकरण नंबर ********** बैंक खाता ********* सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है

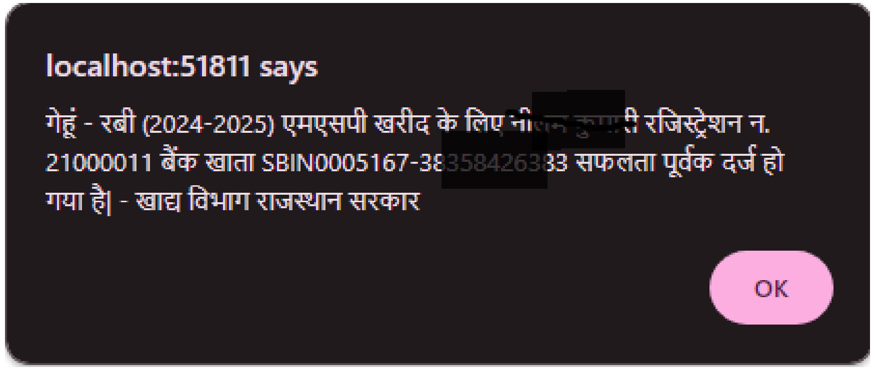

- ➢ पंजीकरण उपरांत सम्बंधित क्रय केंद्र द्वारा कृषक को फसल बेचान हेतु दिनांक व समय का टोकन SMS के माध्यम से भेजा जावेगा |
- ➢ टोकन की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें mspproc.rajasthan.gov.in/Farmer_Application_Status.aspx

Thank You..